न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 42/2024 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. मेहबूब पुत्र सोहराब मुसलमान निवासी खातोडिया बजत, थाना सनरावती तहसील सावेर जिला इंदौर (मध्यप्रदेश)।

–प्रार्थी

बनाम

1. थानाधिकारी, हनुमान नगर जिला शाहपुरा।

–अप्रार्थी/विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी./वर्तमान धारा 503 बी.एन.एस.एस.

उपस्थित –

1. अधिवक्ता प्रार्थी– किशन खटीक।

निर्णय

दिनांक : 11.11.2024

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी./वर्तमान धारा 503 बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि प्रार्थी का वाहन महिन्द्रा पिकअप जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर MP46ZC5759 जिसे पुलिस द्वारा मुकदमा संख्या 100/2024 पुलिस थाना, हनुमान नगर के अपराध अंतर्गत धारा 5, 6, 8 राज0 गोवंश अधिनियम, 1995 में जब्त किया है। पुलिस को तफतीस में उक्त वाहन की अब कोई आवश्यकता नही हैं। न्यायालय द्वारा जब भी उक्त वाहन को तलब किया जायेगा प्रार्थी अपने स्वयं के खर्चे से उपस्थित कर देगा। प्रार्थी उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में प्राप्त करने हेतु संतुष्टि प्रतिभूति व स्वयं का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का वाहन महिन्द्रा पिकअप जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर MP46ZC5759 को प्रार्थी को सुपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान कराने हेतु निवेदन किया गया है।

2– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.09.2024 को पंजीबद्ध करते हुए विपक्षी से प्रकरण में की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट तलब की गयी। थानाधिकारी, हनुमान नगर द्वारा पत्रांक 4078 दिनांक 06.11.2024 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रकरण के अनुसंधान में जब्तशुदा घटना में प्रयुक्त वाहन की आवश्यकता नहीं है।

3– प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी का वाहन वाहन महिन्द्रा पिकअप, रजिस्ट्रेशन नंबर MP46ZC5759 थाना परिसर में पड़े–पड़े खराब हो रहा है। अतः प्रार्थी को उक्त वाहन जमानत पर सुपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

4– प्रार्थी की बहस सुनी गयी एवं दस्तावेजात का परीक्षण

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (राज.)

किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक विनिश्चय AIR2003SC638 सुन्दरबाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय को विचारण के लंबन काल के दौरान मालखाने के बाबत् प्रकरण के विचारण से पूर्व सुपुर्दगी पर या अंतिम निस्तारण बाबत् आदेश आज्ञापक रूप से पारित कर देना चाहिए।

5— हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति ने जप्तशुदा उक्त वाहन का सुपुर्द किये जाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र या क्लेम पेश नहीं किया है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त न्यायिक दृष्टान्त में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में जप्तशुदा वाहन का नियमानुसार निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है एवं अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतएवं—

आदेश

6— अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के संतुष्टिप्रद 9,00,000/— (नौ लाख) रूपये का जमानत नामा व 9,00,000/— (नौ लाख) रूपये का सुपुर्दगीनामा पेश कर तस्दीक किये जाने से पुलिस द्वारा जप्त किये गये वाहन महिन्द्रा पिकअप, रजिस्ट्रेशन नंबर MP46ZC5759 जिसके ईजन नंबर TTP4H27072, चेचिस नंबर MA1ZN2TTKP5H44652 को प्रार्थी को निम्न शर्तो पर अंतरिम रूप से सुपूर्द किये जाने का आदेश दिया जाता है, यदि प्रार्थी—

1. वाहन को जब भी न्यायालय तलब करेगा, तब प्रार्थी वाहन को स्वयं के खर्चे पर पेश करेगा।
2. वाहन के रंग रोगन/आकार—प्रकार में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेगा।
3. वाहन को बिना न्यायालय की अनुमति के खुर्द—बुर्द नहीं करेगा।

7— इस संबंध में विपक्षी थानाधिकारी, हनुमान नगर को इस आशय की तहरीर अविलम्ब जारी हो कि कि यदि पुलिस को किसी अन्य मामले में उक्त वाहन की आवश्यकता नहीं हो तो उक्त आदेशानुसार उक्त वाहन महिन्द्रा पिकअप, रजिस्ट्रेशन नंवर MP46ZC5759 जिसके ईजन नंबर TTP4H27072, चेचिस नंवर MA1ZN2TTKP5H44652 प्रार्थी को सुपुर्द किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

8— निर्णय आज दिनांक 11-11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.)

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
शाहपुरा

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (राज.)